

- 12 उपरोक्त शर्तों के उल्लंघन करने पर, कोई तथ्य छुपाकर मानचित्र स्वीकृत करने पर मानचित्र निरस्त करने का अधिकार प्राधिकरण संचालित रखता है।
- 11 अपने मूल्यांकन के परिचय में कम से कम 50 पृष्ठ प्रति हेक्टेयर की दर से लगाने होंगे। रूप से कराना होगा।
- 10 ग्रुप हाउसिंग में एक टापू से ब वाटर हावर्सिंग/ग्राउन्ड रिवर्जिनिंग का निर्माण कार्य अनिवार्य करेगा।
- 09 प्राधिकरण से भवन पूर्णता प्रमाण प्राप्त करने के उपरान्त ही भवन को अध्यासित (ऑक्युपयथा) पर निर्माण पूर्ण होने का प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा।
- 08 निर्माण कार्य पूरा हो जाने पर एक माह की अवधि के भीतर भवन उप-नियमों में निर्धारित प्रपत्र पूर्व अनुमति प्राप्त करने के बाद परिवर्तन किया जायेगा।
- 07 निर्माण की अवधि में स्वीकृत मानचित्र के विरुद्ध यदि कोई परिवर्तन आवश्यक है, तो उसकी उसके तथ्या निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्र के अनुसार कराया जायेगा।
- 06 स्वीकृत मानचित्र का सैट निर्माण स्थल पर रखना-होना, ताकि मौके पर कमी भी जाँच की जा निकास की विकास कार्य करने की जिम्मेदारी नहीं होगी।
- 05 जो क्षेत्र/ग्राम विकास कार्य के लिये उपयुक्त नहीं होगा, वहाँ प्राधिकरण अथवा किसी स्थानीय कार्य हेतु कोई सुधार व्यय मंरगा जायेगा, जो बिना किसी आपत्ति के देय होगा।
- 04 3000 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम की धारा-35 के अन्तर्गत यदि शिथिल में सुधार निरस्त समझा जायेगा।
- 03 विपरीत प्रयोग 3000 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-26 के अधीन विपरीत प्रयोग के लिये निर्माण की अनुमति दी जा रही है, भवन उन्ही प्रयोग में लाया जायेगा। एवं स्वामित्व पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा।
- 02 मानचित्र अनुमति से किसी भी शासकीय विभाग, स्थानीय निकाय अथवा किसी व्यक्ति के स्वत्व होगा।
- 01 यह मानचित्र निर्गत दिनांक से केवल पाँच वर्ष तक वैध है। इसके पश्चात नवीनीकरण कराना मानचित्र संलग्न है।

आपका आवेदन पत्र दिनांक 25.01.2021 शान मानचित्र सं० 209/2020 के संदर्भ में आपके द्वारा प्रस्तुत ग्रुप हाउसिंग मानचित्र स्थल-खसरा सं० 698क, मौजा-अली नगर कौजरा, फ़िरोजाबाद पर उपायक्ष महीदय द्वारा दिनांक 06.02.2021 को निम्नलिखित शर्तों के साथ उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-15 व 32 के अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान की जाती है। (स्वीकृत मानचित्र संलग्न है)

एस्०एल० इन्फ़ोस्टेट प्रॉपर्टी, निदेशक श्री अमित मिश्रा पुत्र श्री गुन्नालाल मिश्रा, निवासी-235, जलेश्वर रोड, फ़िरोजाबाद।

दिनांक : 209/2020(ए/वि०प्र०)/2021

दिनांक : 16/06/2021

पत्रांक : -अनुज्ञा पत्र-

सेवा में

फ़िरोजाबाद-श्रीकांताबाद विकास प्राधिकरण, फ़िरोजाबाद

